भाग–III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अगस्त, 2019

संख्या का०आ० 64/के०अ०4/2016/धा० 3/2019.– वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग अधिनियम, 2015 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 4), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ070/के०अ०4/2016/धा०3/2017, दिनांक 27 अक्तूबर, 2017 के अधिक्रमण में, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के परामर्श से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिला तथा उप–मण्डल में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन)/अपर सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) और सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों को कम से कम तीन लाख रूपए तथा पचास लाख रूपए से अनधिक विनिर्दिष्ट मूल्य के मामलों का निर्णय करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों के रूप में गठित करते हैं।

नवराज सन्धु,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय प्रशासन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 30th August, 2019

No. S.O. 64/C.A.4/2016/S.3/2019.— In exercise of the Powers conferred by Sub-section (1) of section 3 of the Commercial Courts Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 (Centeral Act 4 of 2016) the Governor of Hayanan after consultation with the High Court of Punjab and Haryana and in superersession of the Haryana, Government Administration of Justice Department, Notification No. S.O.70/C.A.4/2016/S.3/2017, dated 27th October, 2017 hereby constitutes the Courts of Civil Judge (Senior Division)/Additional Civil Judge (Senior Division) and Civil Judge (Junior Division) in each District and Sub-Division in the State, to be the Commercial Courts, to decide the case of the specified value of not less than three lac rupees and not more than fifty lac rupees.

NAVRAJ SANDHU,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Administration of Justice Department.

57332—L.R.—H.G.P., Chd.